राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दिनांकः

क्रमांकः उ.कु./गोप. प्रथम/2025/

प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राधीक्षक,
प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः स्नातक सेमेस्टर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ (स्वयंपाठी) परीक्षा–2025 की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने बाबत्।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत स्नातक सेमेस्टर–प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ (स्वयंपाठी) प्रायोगिक परीक्षा–2025 हेतु परीक्षार्थियों द्वारा जिस केन्द्र/महाविद्यालय पर प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वही केन्द्र/महाविद्यालय उस परीक्षार्थी का प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र रहेगा। परीक्षार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा के प्रवेश–पत्र पोर्टल पर अपलोड़ कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा जारी पाठ्यक्रम एवं दिशा–निर्देशों का भली–भांति अवलोकन कर दिनांक 23.07.2025 तक प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करवाकर अंक विश्वविद्यालय परीक्षा पोर्टल www.univraj.org पर College Panel के माध्यम से अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

यदि आपके केन्द्र/महाविद्यालय द्वारा किसी भी छात्र के अंकों को New TRF करके दर्ज किया जाता है तो उन छात्रों की सूची अनिवार्य रूप से कार्यालय को पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। केन्द्र/महाविद्यालय द्वारा किसी भी छात्र के अंकों को मैनुअल/ऑफलाइन भेजे जाते हैं, तो ऐसे अंकों को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं करते हुये इनका परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। साथ ही प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश हेतु वेबसाइट www.uniraj.ac.in पर परीक्षा गोपनीय अनुभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक उ.कु. गोपनीय/2025/1554 दिनांक 17.05.2025 का अवलोकन करें।

भवदीय,

Sd/-

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः उ.कु./गोप. प्रथम/2025/6239–247 **दिनांकः** 10.7.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रो. जी.पी. सिंह, निदेशक (अकादमिक), रा.वि.वि., जयपुर।
2. प्रो0 एस.के. गुप्ता, संयोजक, एन.ई.पी., रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने का श्रम करावे।
4. उप–कुलसचिव (परीक्षा/नामांकन/शैक्षणिक–प्रथम), रा.वि.वि., जयपुर।
5. जन संपर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को समाचार–पत्रों में प्रसारित करवाने का श्रम करावे।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
7. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है उक्त सूचना को परीक्षा पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करें। साथ ही सम्बन्धित परीक्षार्थियों को महाविद्यालयों पर संपर्क करने हेतु तकनीकी रूप से सूचित करें।

सहायक कुलसचिव